कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 2053 / 12-1 दिनांक , चम्पावत 18-11- 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय – जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत सिमलखेत से सिब्योली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.95 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/Road/15736/2015 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट की पत्र संख्या 645 /पी0एम0जी0एस0वाई0/दिनांक 02.08. 2024 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र में भारत सरकार में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विषयगत प्रकरण पर FRCM meet 20.09.2022 के पश्चात् राज्य सरकार के पत्रांक IRO-DDN/FRCM/01/2022/879 दिनांक 23.09.2022 द्वारा अपेक्षित 2 बिन्दुओं की सूचना अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट के पत्रांक 645/पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनांक 02.08.2024 द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 05.08.2024 को प्राप्त हुई जिसे आपके अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है:–

क0 सं0	प्रस्ताव में पाई गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1-	A major deviation from the approved alignment has been noticed in the construction of the road. The results in the violation of the condition stipulated in the in-principle approval.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण स्वीकृति समरेखण एवं वास्तविक रूप से प्रभावित सीमांकित [Demarcated] वनभूमि के अनुसार ही किया गया है। चूंकि उक्त प्रस्ताव वर्ष 2015 में ऑनलाईन अपलोड किया गया था तत्समय कार्यालय में जी0पी0एस0 कार्डिनेट लेते हुये के0एम0एल0 फाईल के निर्माण करने हेतु कोई दक्ष [expert] कर्मचारी न होने से के0एम0एल0 फाईल के निर्माण में त्रुटि प्रदर्शित हो रही है जिस कारण कुछ स्थानों पर निर्मित मार्ग के0एम0एल0 फाईल में प्रदर्शित समरेखण से इतर दिखाई दे रहा है। वर्तमान में वास्तविक समरेखण के अनुसार संशोधित के0एम0एल0 फाईल तथा जियो रिफरेंस मैप तैयार किया गया है। उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य वास्तविक संशोधित मैप एवं स्वीकृति समरेखण के अनुसार ही किया गया है। अतः उक्त मोटर मार्ग का निर्माण स्वीकृति समरेखण में ही किया गया है तथा मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।
2-	Irregular dumping of muck on the road sides which has damaged the forest is cleary visible in the satellite imagery.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ठेकेदार द्वारा सडक की कटिंग के दौरान पूर्व में चिन्हित डम्पिंग जोन बनाये गये थे, जिनमें सडक की कटिंग का मलबा नियंत्रित रूप से डाला गया था। परन्तु अक्टूबर 2021 में हुयी अतिवृष्टि के कारण सभी डम्पिंग जोन बह गये थे। अतः सैटेलाइट इमेज में डम्पिग जोन नहीं दिखाई दे रहे हैं।

संलग्नकः– जियो रिफरेंस मैप (4 प्रतियां) व के0एम0एल0 फाईल (ई0मेल)।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

पत्रांक 2053/ 12-1 दिनांकित। 18-11-2024

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्या कोस्वयं अथवा विशेष पत्र वाहक के माध्यम से ले जान सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

Scanned with OKEN Scanner